HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Bail Cancellation Application No. 71/2025

Arjun Ram S/o Gokal Ram, Aged About 41 Years, R/o Village Jiabery, Tehsil Balesar, District Jodhpur.
At Present Bajrang Sweet Home Circle, Jodhpur.

----Petitioner

Versus

1. State of Rajasthan, Through PP
2. Sukhdev Ram S/o Lt. Shri Rugha Ram, Aged About 32 Years, R/o Jajiwal Jakhara, Police Station Banar, District Jodhpur. (Presently Lodged In District Jail, Jodhpur)

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Aidan Choudhary
For Respondent(s) : Mr. Urja Ram Kalbi, P.P.
None Present for respondent No.2

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA SHEKHAR SHARMA

Order

1.	Date of conclusion of arguments	13.03.2026
2.	Date on which the order was reserved	13.03.2026
3.	Whether the full order or only operative part is pronounced	Full Order
4.	Date of Pronouncement	23.03.2026

प्रार्थी–परिवादी **अर्जुन राम** की ओर से प्रत्यर्थी संख्या 02 सुखदेव राम को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 04.08.2025 के द्वारा दी गई जमानत को निरस्त करने हेतु यह जमानत निरस्तीकरण आवेदन धारा 483(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन पुलिस थाना बनाड़, जिला जोधपुर शहर (पूर्व) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 138/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 232(1), 308(2) व 308(3) भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

02. प्रत्यर्थी संख्या 02 सुखदेव राम को नोटिस प्रेषित किए जाने पर नोटिस की तामील होने के बाद भी उसकी उपस्थिति नहीं आने पर योग्य

अधिवक्ता प्रार्थी–परिवादी व योग्य लोक अभियोजक की बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

03. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी–परिवादी ने मुख्य रूप से यह तर्क दिए कि पूर्व में प्रार्थी–परिवादी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 02 सुखदेव राम के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 138/2025, पुलिस थाना बनाड़, जिला जोधपुर में दर्ज करवाए जाने पर विद्वान विचारण न्यायालय की ओर से उसका जमानत आवेदन अस्वीकार करने के पश्चात् इस न्यायालय द्वारा S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9017/2025 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2025 के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 02 सुखदेव राम का जमानत आवेदन स्वीकार कर लिया गया था। जमानत पर रिहा होने के पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा पुनः प्रार्थी–परिवादी की दुकान पर आकर धमकाते हुए पैसे मांगे गए और नहीं देने पर दुकान में तोड़फोड़ करने एवं 100 राउंड फायर करते हुए जान से मारने की धमकियां देने पर प्रार्थी–परिवादी द्वारा पुनः उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 342/2025, पुलिस थाना बनाड़ में दर्ज करवाई गई है। इस प्रकार पूर्व में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 138/2025 में इस न्यायालय द्वारा जिस अभियुक्त सुखदेव का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था, उसके द्वारा जमानत मिलने के पश्चात् फिर से प्रार्थी–परिवादी की दुकान पर आकर उसे धमकियां भी दी गई हैं। प्रत्यर्थी संख्या 02 सुखदेव राम के विरुद्ध एक अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 29/2026 पुलिस थाना बोरानाडा में भी पंजीबद्ध हुई है। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 02 सुखदेव राम द्वारा, जो कि एक आदतन अपराधी है और लोगों को डरा–धमकाकर पैसे मांगता है एवं नहीं देने पर जान से मारने की धमकियां देता है तथा इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जो जमानत की सुविधा दी गई थी, उसकी शर्तों का उल्लंघन करते हुए प्रार्थी–परिवादी को धमकाया गया है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रत्यर्थी संख्या 02 सुखदेव राम की जमानत जिस आदेश दिनांक 04.08.2025 के द्वारा स्वीकार की गई थी, उस आदेश को निरस्त करते हुए उसे पुनः न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने की प्रार्थना की।

04. विद्वान लोक अभियोजक को सुना। प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि पूर्व में प्रार्थी–परिवादी की ओर से एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 138/2025 प्रत्यर्थी संख्या 02 सुखदेव राम के विरुद्ध दर्ज करवाई गई थी, जिस पर अभियुक्त सुखदेव की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने पर अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 05, जोधपुर महानगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.07.2025 से यह जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया गया था। तत्पश्चात् इस न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9017/2025 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2025 के द्वारा अभियुक्त सुखदेव का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया था और इस प्रार्थना पत्र के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त सुखदेव के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 232(1), 308(2) व 308(3) भारतीय न्याय संहिता के अपराध का आरोप था, जो कि मजिस्ट्रेट न्यायालय की अन्वीक्षा के योग्य था। इस प्रकार पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जो जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था, उसमें कारणों का उल्लेख करते हुए ही अभियुक्त सुखदेव को जमानत की सुविधा प्रदान की गई थी। इसके पश्चात् अब प्रार्थी–परिवादी का कहना है कि पुनः प्रत्यर्थी संख्या 02 सुखदेव राम ने उसकी दुकान पर आकर पैसे मांगे और जान से मारने की धमकियां दी, जिसकी पुलिस थाना बनाड़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 342/2025 पंजीबद्ध करवाई गई है। इस घटना के पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या 02 सुखदेव राम के विरुद्ध एक अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 29/2026 पुलिस थाना बोरानाडा में भी पंजीबद्ध हुई है। इस प्रकार प्रार्थी–परिवादी के अनुसार इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुखदेव का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का आदेश देने के पश्चात् पुनः प्रत्यर्थी संख्या 02 सुखदेव राम के विरुद्ध दो अन्य आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने से पूर्व में दी गई जमानत को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है।

05. जमानत निरस्ती के संबंध में यह सुस्थापित विधिक स्थिति है कि प्रारंभिक स्तर पर जमानत प्रदान करना या खारिज करना और जमानत के आदेश को निरस्त करना, दोनों में तात्विक अंतर है। जमानत का आदेश निरस्त करने के लिए प्रमुख रूप से यह बताया जाना आवश्यक है कि कोई गंभीर त्रुटि हुई है, जिससे न्याय का हनन हुआ है अथवा जमानत का लाभ प्राप्त होने के पश्चात् उसके द्वारा ऐसा व्यवहार किया गया है, जो विचारण को प्रभावित कर सकता है।

06. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **(2021)0 Supreme (SC) 541; Vipan Kumar Dhir Vs State of Punjab** में पारित निर्णय/न्यायिक दृष्टांत में निम्न स्थिति स्पष्ट की गई है :–

> **"Cancellation of bail is to be dealt on a different footing in comparison to a proceeding for grant of bail – It is necessary that cogent and overwhelming reasons are present for cancellation of bail."**

07. इसी प्रकार **Bhuri Bai Vs. State of M.P.; 2022 (4) CJ (Cri.) (S.C.) 1241** में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जमानत रद्द करने की शक्ति का प्रयोग वृहत् सतर्कता तथा सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। इसका आदेश जमानत प्रदान किये जाने से पूर्व अभियुक्त द्वारा की गई कथित अनुशासनहीनता के आधार पर नहीं किया जा सकता है। शक्तियों का प्रयोग केवल उन मामलों में किया जा सकता है, जहां अभियुक्त को प्रदान की गई छूट आपराधिक विचारण में उचित विचारण की अपेक्षाओं का प्रतिकार करने वाली हो।

08. इस प्रकार उपर्युक्त विधिक स्थिति से यह स्पष्ट है कि सामान्यतया जब तक विशिष्ट परिस्थितियां नहीं बताई जाती, तब तक पूर्व में दी गई जमानत को निरस्त नहीं किया जा सकता। प्रार्थी–परिवादी की ओर से मुख्य रूप से यही कहा गया है कि इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुखदेव का जमानत प्रार्थना पत्र

स्वीकार करने के बाद उसके विरुद्ध दो अन्य प्रकरण पंजीबद्ध हो चुके हैं, लेकिन मात्र किसी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होना ही पूर्व में उसे दी गई जमानत को निरस्त करने का आधार नहीं हो सकता, जब तक कि इस न्यायालय की यह संतुष्टि नहीं हो जाती कि जिस प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुखदेव को जमानत की सुविधा दी गई थी, उस प्रकरण में अभियुक्त द्वारा पुनः इस प्रकार का कोई आचरण किया गया है, जिससे संबंधित प्रकरण का विचारण प्रभावित हो रहा हो। यदि पश्चातवर्ती प्रक्रम पर प्रत्यर्थी संख्या 02 की ओर से अन्य अपराध किए जाते हैं और उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है, तो यह संबंधित प्रकरण में ही नियमित जमानत प्रार्थना पत्र पेश करने पर उसे अस्वीकार करने के लिए मेरिट का विषय हो सकता है।

09. अभिलेख के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि जो प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 342/2025 पुलिस थाना बनाड़ में प्रार्थी–परिवादी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 02 के विरुद्ध दर्ज करवाई गई थी, उसका जमानत प्रार्थना पत्र विद्वान सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर द्वारा दिनांक 13.11.2025 के आदेश से अस्वीकार भी कर दिया गया है। इसी प्रकार से एक अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 29/2026, पुलिस थाना बोरानाडा में प्रत्यर्थी संख्या 02 के विरुद्ध दर्ज हुई है, उसमें प्रार्थी, परिवादी नहीं है बल्कि एक अन्य व्यक्ति हडमान भादु की ओर से यह रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी सुखदेवराम उर्फ सुखिया की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने पर विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 04, जोधपुर महानगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 09.02.2026 के द्वारा उसका जमानत आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है और इसी आदेश में विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 04, जोधपुर महानगर ने पैरा संख्या 10 में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा **S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 14668/2025** में पारित आदेश दिनांक

11.12.2025 का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 02 का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए निम्न निर्देश भी दिए थे :–

> **"However, considering the criminal antecedents of the petitioner and the fact that same litigation in previous criminal cases are pending between the parties, it is hereby directed that the petitioner shall not commit any offence and shall not tamper with/threaten/induce the prosecution witnesses, during bail granted by this Court. In case, breach of any of the condition is reported or comes to the notice of the Court, same shall be the reason for the trial Court to cancel the bail, granted by this Court."**

10. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 02 का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के पश्चात् पुनः एक और अन्य प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 02 का जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार करते समय कुछ निर्देश/शर्तें भी लगाई गई थीं। इस प्रकार यदि प्रत्यर्थी संख्या 02 के विरुद्ध बार–बार आपराधिक प्रकरण दर्ज हो रहे हैं तो उसका पूर्व का आचरण अर्थात् जमानत की सुविधा प्राप्त होने के बाद पुनः आपराधिक गतिविधियों में शरीक होने की स्थिति को देखते हुए उसके नियमित जमानत आवेदन को निरस्त करने का आधार तो हो सकता है, लेकिन पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जो जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था, वह केवल इसी आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता कि जमानत देने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध हुए हैं।

11. इस प्रकार अभिलेख पर आई उपर्युक्त संपूर्ण स्थिति को देखते हुए प्रार्थी–परिवादी की ओर से प्रत्यर्थी संख्या 02 सुखदेव राम को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 04.08.2025 के द्वारा दी गई जमानत को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत यह जमानत निरस्तीकरण आवेदन अभिलेख पर आए तथ्य, परिस्थितियों को देखते हुए स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

12. परिणामतः प्रार्थी–परिवादी **अर्जुन राम** की ओर से प्रत्यर्थी संख्या 02 सुखदेव राम की जमानत निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत यह आवेदन अंतर्गत धारा 483(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता खारिज किया जाता है।

(CHANDRA SHEKHAR SHARMA),J

31-Rajendra/-